# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 33/2020

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| नवलसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत<br>निवासी ईडवा तहसील डेगाना जिला नागौर। | | तहसीलदार, डेगाना जिला नागौर। |

उपस्थिति :–
1. श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

**निर्णय** दिनांक:22.03.21

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 55/2020 सरकार बनाम नवलसिंह में निर्णय दिनांक 30.07.2020 के तहत मौजा ईडवा के खसरा नं. 1127 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.08.20 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 24.08.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार डेगाना के प्रकरण सं. 55/20 सरकार बनाम नवलसिंह के फर्द अहकाम दिनांक 27.07.20 से 30.07.20 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 30.07.2020 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति तथा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–आदेश जैर अपील विरूद्व कानून व हालात मामला के है। जो निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलांट के आदेश जैर अपील करने से पहले कोई नोटिस जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने के लिये नही दिया। इसलिये अपीलांट कोई जवाब पेश नही कर सका। हकीकत यह है कि रास्ता खसरा नं. 1127 के पश्चिम मे खसरा नं. 1125 का खेत है। जिसका खातेदार तुलछाराम पुत्र खीयाराम जाट (टाण्डी) है। इस तुलछाराम ने अपने खेत के पूर्व मे चल रहे रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है तथा पक्की दीवार निकाल ली है तथा रास्ता को पडौस के खेत खसरा नं. 1136 मे डालने की कोशिश की है तथा वह इसी मे लगा है। खसरा नं. 1136 अपीलांट व उसके हिस्सेदारो की खातेदारी का खेत है। इसी प्रभाव से रास्ते को आगे खसरा नं. 1135 जो गोपाल ब्राह्मण की खातेदारी का है। उसमे डालना चाहता है। इसलिये रास्ता खसरा नं. 1127 पर अतिक्रमण अपीलांट ने नही करके तुलछाराम पुत्र खींयाराम जाट टाण्डी ने किया है। इसलिये अपीलांट पर पूरी कार्यवाही ही गलत की है। इस तथ्य की तस्दीक अगर तहसीलदार मौके पर जाते व नाप चोप करते तो अपने आप सब स्थिति स्पष्ट हो जाती। मगर तहसीलदार ने न तो मौका मुआयना स्वयं ने जाकर किया न ही अपने अधीनस्थ पटवारी या राजस्व निरीक्षक से करवाया। जबकि इस मामले के निस्तारण के लिये यह नाप करना व मौका मुआयना करना न्याय संगत था तथा यह नाप अपीलांट को साथ लेकर उसके सामने करते तो सब स्थिति स्पष्ट हो जाती मगर ऐसा नही किया गया व केवल पटवारी की रिपोर्ट पर ही आदेश कर दिया जो आदेश प्रथम दृष्टया ही गलत है जो निरस्तनीय है। इसके अलावा अगर तहसीलदार स्वयं नाप करवाने मे असमर्थ थे तो उस हालत मे अपीलांट को आदेश देते कि वह



अपर कलक्टर, नागौर

इसका नाप करवा कर पेश करे। मगर ऐसा कुछ भी तहसीलदार ने अपने स्तर पर नही किया। इसलिये आदेश बिना किसी आधार के है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)– आदेश जैर अपील करने से पहले अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नही दिया गया। केवल पटवारी की रिपोर्ट पर आदेश दिया जो किसी नाप के आधार पर नही किया गया है। जो बिना आधार ही माना जायेगा। पटवारी की रिपोर्ट के साथ कोई नाप रिपोर्ट नही है न किसी नाप रिपोर्ट का हवाला है सो यही माना जायेगा कि रिपोर्ट बिना किसी नाप रिपोर्ट के आधार पर है। इसलिये आदेश गलत है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा ईडवा में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ईडवा के खसरा नंबर 1127 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार )
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर